2022/306

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री कान्तिलाल उपाध्याय<br>जाति उपाध्याय<br>निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड<br>जिला सिरोही। | | सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 37 वर्ष 2022

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख ... इस हुक्म के तामिल म जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.08.2022 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावें । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 16.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनाक 30.07.2021 को श्री विरेन्द्रसिंह शारीरिक शिक्षक रा.उ.मा.वि. चन्द्रावती आबूरोड के विरूद्ध सत्र 2005–06 से आज तक शारीरिक शिक्षक के पद पर रहते हुए भ्रमण के आदेशों एवं उनके द्वारा उठाए गए टी. ए. बिल की राशि, प्रतिनियुक्ति आदेशों की जांच ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आबूरोड ने प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. देलदर आबूरोड से करवाकर जिला कलक्टर सिरोही को प्रेषित की गई थी, उक्त जांच की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति एवं जनवरी 2022 से आज तक श्री विरेन्द्रसिंह शारीरिक शिक्षक को अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाने के आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 16.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 30.07.2021 को श्री विरेन्द्रसिंह शारीरिक शिक्षक रा.उ.मा.वि. चन्द्रावती आबूरोड के विरूद्ध सत्र 2005–06 से आज तक शारीरिक शिक्षक के पद पर रहते हुए भ्रमण के आदेशों एवं उनके द्वारा उठाए गए टी.ए. बिल की राशि, प्रतिनियुक्ति आदेशों की जांच ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आबूरोड ने प्रधानाचार्य रा.उ. मा.वि. देलदर आबूरोड से करवाकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही के मार्फत जिला कलक्टर सिरोही को प्रेषित की गई थी, उक्त जांच की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति एवं जनवरी 2022 से आज तक श्री विरेन्द्रसिंह शारीरिक शिक्षक को अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाने के आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अ[illegible]अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरि[illegible]किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नि[illegible]सार उपलब्ध करावें । य[illegible] सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक [illegible]देश पारित कर अपीलांट [illegible] सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।<br><br>(डॉ. भँवर लाल)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही** | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:43:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner